सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या – 32/2013

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

1. भूला देवी पत्नि रामचन्द्र
2. लाली देवी पुत्री रामचन्द्र
3. माया पुत्री रामचन्द्र

समस्त जाति बैरवा निवासीगण मोलकिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर राज.

वादीगण

बनाम

1. रामरतन पुत्र श्रीकिशन जाति बैरवा निवासी कासिर तहसील देवली जिला टोंक
2. राज. सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः–25.05.2018

पत्रावली आज दिनांक 23.05.2018 को केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प मोलकिया में पेश हुई। वादी/प्रतिवादीगण उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 53,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी की वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम मोलकिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत के खाता नम्बर 172 के खसरा नम्बर खसरा नम्बर 810,811,913 क्रमशःरकबा 0.30, 0.65, 0.15 है। उक्त आराजीयात में जर्ये राजस्व रिकॉर्ड मे वादीगण के 1/2 हिस्से में एवं प्रतिवादी स. 1 के हिस्से में 1/2 हिस्से में में दर्ज होती चली आ रही है। इसी अनुसार खातेदारी काश्त है। प्रतिवदी स. 1 की बदनियत होने से वादीगण महिला है। उनके हिस्से की आराजीयात को काश्त करते समय लडाई झगडा करते है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के विधिवत बंटवारा किया जावें एवं जर्ये निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावें कि वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से की आराजी के संयुक्त कब्जे काश्त ,उपयोग ,उपभोग, में बाधा उत्पन्न न करें। वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात का विधिवत वादिया एवं प्रतिवादीगण में बंटवारा किया जाने का निवेदन किया है। वादी का वाद स्वीकार फरमावें।

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण की और से अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र सिंह राठौड उप.। प्रतिवादी स. 1की और से जवाब में दिनांक 11.4.14 को अन्तिम मौका दिया गया । दिनांक 4.7.14 को पत्रावली में जवाब बन्द किया गया।

पत्रावली लोक अदालत न्याय आपके द्वार में पेश हुयी। हमने उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत वादपत्र व दस्तावेजों का अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजीयात है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात का मौका एवं जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार का बंटवारा किये जाने हेतु वाद का संतुलन वादी के पक्ष में है तथा वादी का वाद प्रेमाफेसाई होना जाहिर होता है।

अतः वादी का दावा स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि ग्राम मोलकिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत के खाता नम्बर 172 के खसरा नम्बर खसरा नम्बर 810, 811, 913 क्रमशः रकबा 0.30, 0.65, 0.15 है। भूमि का मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्से एंव कब्जे अनुसार बंटवारा किये जाने हेतु वादी का दावा डिक्री किया जाता है। तहसीलदार केकड़ी को वादग्रस्त आराजी का बंटवारा किये जाने हेतु मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी का मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्से एवं मौका अनुसार बंटवारा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा, ट्रेस के तैयार कर न्यायालय हाजा में पेश करें।

निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी